सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 446 राँची ,गुरुवार

20 भाद्र 1936 (श०)

11 सितम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

9 सितम्बर, 2014

विषय: झारखण्ड राज्य में राज्यकर्मियों के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Payment Certificate- LPC) निर्गत करने की ऑनलाइन (Online) प्रक्रिया के संबंध में।

संख्या-वित्त-7/विविध/2013/2008/3222/वि०--वर्तमान में राज्यकर्मियों के स्थानान्तरण या पद परिवर्तन के फलस्वरूप अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) के हाथ से तैयार करने के कारण इसके निर्गत/प्राप्त होने में प्रायः विलम्ब होता है, जिससे संबंधित राज्यकर्मियों के वेतनादि के भुगतान में कठिनाई होती है। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य में वेतनादि के भुगतान की Online सुविधा उपलब्ध है।

2. अतः LPC की वर्त्तमान व्यवस्था में होने वाले विलम्ब एवं कठिनाईयों को देखते हुए इसे सरल एवं सुगम बनाने हेतु online करने का प्रस्ताव है, जिससे ससमय LPC निर्गत/प्राप्त किया जा सके। ऑनलाइन अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र उस स्थापना से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिस स्थापना से पदाधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है।

3. LPC की online सुविधा होने पर राज्यकर्मियों के स्थानान्तरण के पश्चात् उनका नाम पुराने DDO से हटा कर online ही नये DDO के साथ tag हो जायेगा तथा संबंधित नये निकासी एवं

व्ययन पदाधिकारी एवं नये कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी के पास online चला जायेगा, जिससे उक्त राज्यकर्मियों का वेतन बनने में विलम्ब नहीं होगा। अतएव LPC निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा DDO login ID एवं Password से online निर्गत किया जायेगा।

4. इसे Right to Service Act के तहत् एक सेवा के रूप में notify किया जाएगा, जिससे accountability बढ़े।

5. संकल्प संख्या 272/भ॰नि॰ दिनांक 10 फरवरी, 2014 द्वारा GPF/PRAN No. को Employee- Identity no. के रूप में मान्यता दी गयी है। ऐसे में LPC निर्गत में GPF/PRAN No. अंकित किया जाएगा।

6. इस सेवा को employee portal से link किया जाएगा ताकि Automated Last Pay certificate (LPC) का details देखा जा सके/ reflect किया जा सके।

7. वित्त विभाग सभी विभाग तथा कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी एवं प्रत्येक प्रशासी विभाग क्षेत्रीय/मुख्यालय के पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित करेगा, ताकि सभी संबंधित familiarise हो जाय। इस कार्य में वित्त विभागीय PMU द्वारा सतत् facilitate किया जायेगा।

8. ऑनलाइन अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत हो जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की त्रुटि संज्ञान में आने पर उसका संशोधन किया जा सकेगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2014 की बैठक के मद सं॰ 32 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 446–50 ।